रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 15 जून, 1996/25 ज्येष्ठ, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-2, 30 दिसम्बर, 1995

संख्या. एल0एल0 आर0 (राजभाषा) बी(16)7/95.—हिमाचल प्रदेश लैण्ड रैविन्यू (अमेन्डमेन्ट एण्ड ऐक्सटेन्शन) ऐक्ट, 1976 (1976 का 21) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल

44-राजपत्र/96-15-6-96—1,224 (2709) मूल्य : एक रुपया ।

तारीख 20-12-95 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

हस्ताक्षरित/-

सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन और विस्तारण) अधिनियम, 1974

(1976 का 21)

(राज्यपाल द्वारा 30 अप्रैल, 1976 को यथा अनुमोदित)

प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) का संशोधन करने और इस प्रकार संशोधित उक्त अधिनियम का पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में, विस्तार करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सतार्इसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन और विस्तारण) अधिनियम, 1976 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

धारा-4 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में,--(क) खण्ड (11) में, "में दिया गया है" शब्दों से पूर्व "और अधिवक्ता अधिनियम, 1961" शब्द और अंक जोड़े जाएंगे ;

(ख) खण्ड (12) के पश्चात्, निम्नलितिख खण्ड (12-क) अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(12-क) गैर-कृषि उपयोग में लाए गए किसी "शुद्ध भाटक मूल्य" से स्थान के निम्नलिखित की कटौती करने के पश्चात स्थान का शेष प्राक्कलित वार्षिक भाटक अभिप्रेत है--

(i) उनके मूल्य पर अवक्षयण की कटौती के पश्चात् भवन या मशीनरी पर विनिहित की गई पूजी के लिए समुचित-परिश्रमिक;

(ii) गृह-कर, सम्पत्ति कर; और

(iii) एक मास के कुल भाटक से अनधिक, विहित रीति में अभिनिश्चित या प्राक्कलित अनुरक्षण प्रभार ।

स्पष्टीकरण.--जहां किसी स्थान पर भवन और मशीनरी की लागत से सम्बन्धित कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हो रहे हैं या अन्यथा उपलब्ध नहीं हैं, वहां मूल्यांकन और अवक्षयण, हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मानकों पर, आधारित होगा ।"; और

(ग) खण्ड (15) में, "हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश पंचायती राज ऐक्ट, 1968" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा-5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के स्थान पर और उस धारा के अन्त में आए स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात्:--

"(2) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए माल अधिकारी, किसी ग्राम के स्थान की सीमाएं, सीमांकित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजन के लिए, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी या नोटिफाईड एरिया कमेटी की सीमाओं के भीतर का स्थान, ग्राम का स्थान नहीं समझा जाएगा।"।

धारा-6 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 और इसके शीर्षक में "तहसीलों" शब्द के पश्चात् "उप-तहसीलों," शब्द और अल्प विराम अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा-7 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में,--

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) कमिश्नर," ;

(ख) विद्यमान खण्ड "(ख), (ग) और (घ)" को क्रमशः खण्ड "(ग), (घ) और (ङ)" के रूप में पुनः अक्षरित किया जाएगा, और

(ग) परन्तुक का लोप किया जाएगा।

धारा-14, 94, 95, 96 और 97 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 14,94,95,96 और 97 में, "या यदि कोई कमिश्नर न हो, तो फाईनैन्शियल कमिश्नर" शब्द, जहां कहीं भी आए हैं, का लोप किया जाएगा।

धारा-21 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) में, "अथवा (ग) उसके साथ साधारणतया रहने वाले उसके कुटुम्ब के वयस्क पुरुष द्वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धार 30 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में, "आधा आना" शब्दों के स्थान पर "पांच पैसे" शब्द रखे जाएंगे।

9. X X X X X

धारा 34 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 34 में,--

(क) शीर्षक में और उप-धारा (3) में "वार्षिक" शब्द के स्थान पर "कालिक" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उप-धारा (2) में "सम्पदा का वार्षिक अभिलेख कहलाएगा, और" शब्दों का लोप किया जाएगा, और

(ग) "कालिक अभिलेख" शब्दों के पूर्व "इस धारा के अधीन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35 36, 38, 45, 46, 48 और 171 का संशोधन ।

11. (1) मूल अधिनियम के अध्याय 4 के उप-शीर्षक और धारा 35, 36, 38, 45, 46, 48 और 171 में तथा धारा 35, 36, 45 और 48 के शीर्षकों में "वार्षिक" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "कालिक" शब्द रखा जाएगा और धारा 35 की उपधारा (1) में "काश्तकार" और इस के शीर्षक में "काश्तकारों" शब्द के पश्चात् "आदि" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

(2) मूल अधिनियम की धारा 46 में, "स्पैस्फिक रिलिफ ऐक्ट, 1877 के अध्याय 6" शब्दों और अंक के स्थान पर "विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अध्याय 6" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 37 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (2) में, "हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम नं0 VI 1953" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "हिमाचल प्रदेश पंचायती राज ऐक्ट, 1968" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 42 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 42 में "शासन की सम्पत्ति समझे जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "राज्य के प्रयोजनों के लिए शासन की सम्मति समझी जाएगी और उसमें सरकारी अधिकारों के उचित उपभोग के लिए राज्य शासन को सभी आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी" शब्द जोड़े जाएंगे ।

धारा 45 का संधोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 45 के परन्तुक में "होते हुए भी" शब्दों के पश्चात् "प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 49 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण.--इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए "ग्राम्य स्थान" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 5 में "ग्राम स्थान" का है ।"।

धारा 50 और 51 का प्रति-स्थापन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 50 और 51 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएगी, अर्थात्:--

"50.--निर्धारण का आधार.--भूराजस्व का निर्धारण--

(क) सम्पदा या सम्पदाओं के समूह, जिन में सम्बन्धित भूमि स्थित है, की शुद्ध आस्तियों की धनीय मूल्य औसत, या

(ख) किसी निर्धारण मण्डल या उसके भाग में गैर-कृषि उपयोग के लिए प्रयोग की गई भूमि के विशेष निर्धारण की दशा में,--

(i) स्थानों के किसी प्रवर्ग या वर्ग के शुद्ध भाटक मूल्य की औसत, या

(ii) जहां किसी कारण से शुद्ध भाटक मूल्य विनिश्चित करना सम्भव नहीं है, वहा विहित रीति में यथा अवधारित स्थानों के बाजार मूल्य की औसत के प्राक्कलन पर आधारित होगा :--

परन्तु जब धारा 63 के अधीन विशेष निर्धारण किया जाए, निर्धारण के लिए नियत चालू अवधि या धारा-51 में उपबन्धित परिसीमा अथवा क्षेत्र के नगरीय निर्धारण मण्डल घोषित होने पर भी भू-राजस्व निर्धारित किया जा सकेगा जो एक मुश्त में नियत वार्षिक प्रभार के रूप में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किश्तों में संदेय होगा ।

51. **निर्धारण की परिसीमा**.--यदि भू-राजस्व नियत वार्षिक प्रभार के रूप में निर्धारित किया जाए तो उसकी रकम, और, यदि इसे विहित दर के रूप में निर्धारित किया जाए तो राज्य सरकार द्वारा लिखित अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार औसत रकम प्रति वर्ष उदग्राह्य होगी जो किसी निर्धारण मण्डल की दशा में, ऐसे निर्धारण मण्डल की शुद्ध आस्तियों के प्राक्कलित धनीय मूल्य के एक-चौथाई से अधिक या किसी निर्धारण मण्डल अथवा उसके भाग में गैर-कृषि उपयोग में लाई गई भूमि के स्थानों के किसी वर्ग और श्रेणी पर विशेष निर्धारण की दशा में--

(क) प्राक्कलित औसत शुद्ध भाटक मूल्य के एक-चौथाई से अधिक, या

(ख) औसत बाजार मूल्य के दो से चार प्रतिशत से अधिक, या

(ग) खाली पड़े और उपयोग में न लाए गए स्थानों की दशा में, औसत बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक, नहीं होगी :
परन्तु इस धारा की कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय लागू किसी निर्धारण को प्रभावित नहीं करेगी ।"।

धारा 54 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 54 में,--

(क) उप धारा (3) में, "चौथे" शब्द के स्थान पर, "एक-तिहाई" शब्द और "दो तिहाई" शब्दों के स्थानपर "तीन-चौथाई" शब्द रखे जाएंगे ,

(ख) उप-धारा (4) में, "न हुआ हो," शब्दों के पश्चात् "या जो फलदार बगीचों के अधीन अथवा चाय बागान के अधीन है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएगे, और

(ग) उप-धारा 4 के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु सरकार द्वारा प्रवृत्त विधि के अधीन गठित म्यूनिसिपल कारपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी या नोटिफाईड एरिया कमेटी की सीमाओं के भीतर सभी क्षेत्र नगरीय निर्धारण मण्डल घोषित किए जाएंगे और राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, किसी अन्य उपयुक्त क्षेत्र की नगरीय निर्धारण मण्डल घोषित कर सकेगी ।"।

18. मूल अधिनियम की धारा 62 में, अन्त में आए "अपूर्ण विराम" के स्थान पर "पूर्ण विराम" रखा जाएगा और उसके परन्तुक का लोप किया जाएगा । धारा 62 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 63 की उप-धारा (1) में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-- धारा 63 का संशोधन ।

"(च) जब भूमि को उस उपयोग से भिन्न, जिसके लिए निर्धारण प्रवृत है, उपयोग में लाए जाने के परिणामस्वरूप भू-राजस्व का पुनरीक्षण अपेक्षित है, और

(छ) जब भूमि चाहे उसका पहले भू-राजस्व निर्धारित हुआ है या नहीं, गैर-कृषि प्रयोजनों जैसे कि ईंट-भट्ठा, कारखाना, सिनेमा, दुकान, होटल, गृह, उतरने के मैदान और इस प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई है :

परन्तु खण्ड (च) और (छ) की दशा में, किसी बगीचे या चारागाह के प्रयोजनों के लिए उपयोग अथवा ऐसी भूमि पर कृषि प्रयोजनों के लिए अधिभोग में गृहों का उपयोग या कृषि अनुसेवी अथवा लघुउद्योगों के प्रयोजनों के लिए या किसी सार्वजनिक या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग, उस उपयोग से भिन्न जिसके लिए निर्धारण प्रवृत्त है, या गैर कृषि प्रयोजन नहीं समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि खण्ड (च) और (छ) की दशा में, स्वामी के अधिभोग में, आठ सौ रुपये से अनधिक वार्षिक भाड़क मूल्य के आवास गृह, विशेष निर्धारण के लिए दायी नहीं होंगे ।"।

20. मूल अधिनियम की धारा 74 में,-- धारा 74 का संशोधन ।

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) उसकी गिरफ्तारी और निरोध द्वारा," ,और

(ख) विद्यमान खण्ड (ख), (ग); (घ); (ङ), (च) और (छ) को क्रमश: खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), और (ज) के रूप में पुन: अक्षरित किया जाएगा ।

21. मूल अधिनियम की धारा 75 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-- नई धारा 75-क का अन्त:स्थापन ।

75. बाकीदार की गिरफ्तारी और निरोध--

(1) भू-राजस्व का बकाया प्रोदभूत होने के पश्चात् किसी भी समय, (माल अधिकारी), उसमें नामित अधिकारी को, बाकीदार को गिरफ्तार करने और उसे माल अधिकारी के समक्ष लाने का निदेश देते हुए वारंट जारी कर सकेगा ।

(2) जब बाकीदार को माल अधिकारी के समक्ष लाया जाए, तो माल अधिकारी उसे कलक्टर के समक्ष भिजवाएगा या उसे वैयक्तिक अवरोध के अधीन अथवा दस दिन

से अनधिक अवधि के लिए **राजस्व हवालात** में रख सकेगा और तब, यदि बकाया फिर भी असंदत्त रह जाए, उसे कलक्टर के समक्ष भिजवाएगा ।

(3) जब बाकीदार को कलक्टर के समक्ष लाया जाए, तब कलक्टर, जिला के सिविल जेल के **भारसाधक** अधिकारी को यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि बाकीदार को, जैसा कलक्टर उचित समझे, आदेश की तारीख से एक मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जेल में परिरुद्ध रखा जाए ।

(4) गिरफ्तारी और निरोध की आदेशिका का निष्पादन उस बाकीदार के विरुद्ध नहीं किया जाएगा जो महिला, अवयस्क, पागल या मूर्ख है ।" ।

धारा 76 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (2) में, "हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953" के स्थान पर "तत्समय प्रवृत विधि" शब्द रखे जाएंगे : 1954 का 15

धारा 78 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 78 में,—

(क) उप-धारा (1) में "ले सकेगा" शब्दों के पश्चात् "अथवा उस प्रयोजन के लिए उस द्वारा नियुक्त किसी अभिकर्ता" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे, और

(ख) उप-धारा (2) में प्रथम बार आए "कलक्टर" शब्द के पश्चात् "अथवा अभिकर्ता" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 81, 83 और 85 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 81 और 83 में और धारा 85 की उप-धारा (1) में प्रथम बार आए "फाईनैंशियल कमिश्नर" शब्दों के स्थान पर "कमिश्नर" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 103, 166 और 167 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम में,—

(i) धारा 103 के खण्ड (ग) में, Himachal Pradesh Panchayat Raj Act (हिमाचल प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट)" शब्दों के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश पंचायती राज ऐक्ट, 1968" शब्द और वर्ष रखे जाएंगे; 1970 का 19

(ii) धारा 166 में, "(Indian Limitation Act, 1908) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908" शब्दों और वर्ष के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963" शब्द और वर्ष रखे जाएंगे ; और 1908 का 9 1963 का 36

(iii) धारा 167 की उप-धारा (2) में, इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 (Indian Companies Act, 1913) शब्दों और वर्ष के स्थान पर "कम्पनी अधिनियम, 1956" शब्द और वर्ष रखे जाए । 1913 का 7 1956 का 1

धारा 129 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में, "हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953" शब्दों और अकों के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त विधि "शब्द रखे जाएंगे और उस 1954 का 15

उप-धारा के खण्ड (घ) और (ङ) में, "जुडिशियल कमीशनरज कोर्ट (Judicial's Commissioner's Court)" शब्दों के स्थान पर जहां वे आते हैं, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 153 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 153 में, "जुडिशियल कमिश्नर" शब्दों के स्थान पर "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

अनुसूची का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की अनुसूची में,--

(i) मद सं0 (1) के स्तम्भ सं0 (2) में विद्यमान प्रविष्ट के पश्चात् चिन्ह "." के स्थान पर "," चिन्ह रखा जाएगा और निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे:--

"and as in force in the areas added to Himachal Pradesh under Section 5 of the Punjab Re-organisation Act 1966.",

(ii) मद सं0 (2) के पश्चात निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात:--

"(3) Act 1 of 1899. The Panjab Reverain Boundaries Act, 1899 as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Panjab Re-organisation Act, 1966.

विस्तारण।

29. इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम और बनाए गए सभी नियम और किए गए आदेश और जारी की गई सभी अधिसूचनाएं, निदेश या अनुदेश जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक उस क्षेत्र जिस में उक्त अधिनियम लागू है, में प्रवृत है, को एतदद्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में विस्तारित और प्रवृत किया जाता है।

निरसन और व्यावृत्तियां।

30. मूल अधिनियम की धारा 2 और 3 में किसी बात के होते हुए भी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन मूल अधिनियम की अनुसूची में जोड़ी गई अधिनियमितियां और तद्धीन बनाए गए सभी नियम और किये गए आदेश और जारी की गई सभी अधिसूचनाएं या अनुदेश, निदेश, अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाए, इस अधिनियम के प्रारम्भ से निरसित हो जायेंगे :

परन्तु ऐसा निरसन.--

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियमों के पूर्व प्रवर्तन पर या तदधीन सम्यक रूप से की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा, या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियमों के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा, या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा, या

(घ) किसी यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, वाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा,

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था :

परन्तु यह और कि ऐसे निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई धारा 29 द्वारा विस्तारित अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक इस प्रकार विस्तारित अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा इसे अधिक्रान्त नहीं किया जाता है ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

31. यदि धारा 29 द्वारा विस्तारित अधिनियम नियमों या आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के उपबन्धों को उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नहीं थे, प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।